

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पेटासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 77/2018

1- नेमाराम पुत्र भागुराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का, सुनारी बनाम नेमाराम मु० नं० 70/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.

एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

1. यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी नेमाराम



2
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

पुत्र श्री भागुराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 नं खसरा नम्बर 304 रकबा 00.05 बीघा किरम गैर मुमकिन भूमि गौचर पर लगान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवम् अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किरम गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि पर नेमाराम पुत्र श्री भागुराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि नेमाराम पुत्र श्री भागुराम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु0 न0 70/2018 दर्ज कर अतिक्रमण निर्यात दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम नेमाराम) में अतिक्रमी को बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रुपये का आदेश सुर्गना 06 रुपये के आदेश पारित किये हैं।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किरम गै0 मु0 गौचर रकबा 00.05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से अप्रार्थी को होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बीकानेर (नागौर)

—: अपील के आधार :-

1. उक्त अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2. उक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3. उक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के निर्णय अधिनस्थ न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4. उक्त अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली को प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलान्धीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. उक्त अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट को अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलान्धीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

6. उक्त अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हैं। उक्त स्थान पर तहसीलदार लाडनूं तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 344 के आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि के लिये उक्त भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार


तहसीलदार लाडनूं
तहसीलदार लाडनूं

अपीलकर्ता को तहसीलदार रहवास करते आ रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय को अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलकर्ता को तहसील नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी मकानात में रह रहे हैं तथा अपने रहवासी मकानात में दिजली पानी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इनके कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे हैं। जिससे भी अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलान्त के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई मकानात उपलब्ध नहीं है, एक मात्र मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को तहसीलदार रहवास के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की तहसीलदार रहवास के कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फाड़ कर तहसीलदार रहवास को अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने पर मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कठोर आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही को विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलकर्ता को तहसीलदार रहवास के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की तहसीलदार रहवास के कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फाड़ कर तहसीलदार रहवास को अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने पर मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कठोर आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही को विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलकर्ता को तहसीलदार रहवास के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की तहसीलदार रहवास के कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फाड़ कर तहसीलदार रहवास को अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने पर मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कठोर आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही को विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलकर्ता को तहसीलदार रहवास के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की तहसीलदार रहवास के कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फाड़ कर तहसीलदार रहवास को अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने पर मजबूर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कठोर आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही को विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।

अतिरिक्त जिला कमिश्नर
डीडवाना (भा.प.)

के अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर
लिखा है

अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है
दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपारस्त व
अज्ञान की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की
दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेंट को जरिये
पत्रावली भेजा गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय
नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो
अधीनस्थ न्यायालय को भेजा गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर
रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा
रहनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.05 बीघा
भूमि पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने
की अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमण
रूप से वेदखली किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम
1947 के तहत जुर्माना रूपये 06/- अक्षरे रूपये छः का अर्थदण्ड आरोपित
किया तथा वेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू को दिया
जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा
भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा
पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा आबादी विस्तार के लिये जिला
डक्टर नागौर से भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन
किया हुआ है।

अतिरिक्त जिला न्यायालय
सीकरा (रा. 18)

गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर.
के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं
कर सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को
अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.9.
को पत्रावली पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ
पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की रिपोर्ट
में भी नेमाराम पुत्र भागुराम को गोचर भूमि पर मकान व
पर अतिक्रम बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आवादी
संख्या 304 किस्म गै0मु0 गोचर में स्थिति बताया
द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ
दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डिंडीवाणा (नागौर)

दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डिंडीवाणा (नागौर)